

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 40(24)ग्रावि/नरेगा/स्वी./जलग्रहण/2010

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
जयपुर, राजस्थान।

22 OCT 2010


विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल ग्रहण के कार्य स्वीकृत करने
बाबत।

संदर्भ:-आपका कार्यालय पत्रांक 03/नरेगा/तकनीकी/2010-11/1386 दिनांक
27.05.2010

महोदय,

उक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
विभाग के साथ जलग्रहण के कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अथवा तालमेल
(Convergence) के तहत कराये जाने हेतु कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत को ही बनाया
जावे।

भवदीय


21/10/10

(रामनिवास मेहता)

परि.निदे.एवं उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त (जयपुर को छोड़कर)।

2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।

3. ईजी सचिव जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण निदेशक,
4. पंत कृषि भवन, जयपुर परि.निदे.एवं उपसचिव, ईजीएस